

Form-I
(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No- M-2225-7/2014

Dated- 19-12-2014

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **6.060 hectares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Extention of Hari Nagri- Payan Motor road upto Dabu Harap in Bageshwar** district falls within jurisdiction of Simgari (Dabu and Harap) Village in **Garur** Tehsil.

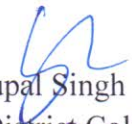
It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.060 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3 (**Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**)
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;----- (**Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**)
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclose – as above

Signature

Dated 19.12.2014


(Bhupal Singh Manral,)
District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम:-

एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिमगड़ी
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.585 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.255 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.220 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.060 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिमगड़ी द्वारा दिनांक 12-8-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मल्ला पयां, सिमगड़ी, दाबू एवं हड़ाप ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

M. Camje
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0/.....
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

प्रधान
ग्राम पंचायत सिमगड़ी (दाबू)
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)
ह0/
ग्राम प्रधान
18/11/2014
ग्राम पंचायत - पय्या
गरुड़, जनपद - बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 12-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिमगड़ी

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कनचनराम S10 केसीराम	कनचनराम
2	प्रेम बल्लभ S10 देवी दत्त	प्रेम बल्लभ
3	देवकी देवी S10 भद्रिपालराम	देवकी देवी
4	कमलराम S10 चेत राम	कमलराम
5	दरवान सिंह S10 ज्ञान सिंह	दरवान सिंह
6	नीमा देवी S10 शंकर सिंह	नीमा देवी
7	पुष्पा देवी S10 अजय सिंह	पुष्पा देवी
8	मोहन सिंह S10 अजय सिंह	मोहन सिंह
9	प्रतापराम S10 चेत राम	प्रतापराम
10	भद्रिपालराम S10 सोहनराम	भद्रिपालराम
11	देवानराम S10 बालु राम	देवानराम
12	हिरा सिंह S10 अजय सिंह	हिरा सिंह
13	गोरीराम S10 हयात राम	गोरीराम
14	वाकुरराम S10 मोहन राम	वाकुरराम
15	चेत राम S10 किशोर राम	चेत राम
16	गोपाकराम S10 किशन राम	गोपाकराम
17	हिराराम S10 भजनराम	हिराराम
18	दरवानराम S10 अजयराम	दरवानराम
19	पानीराम S10 अजयराम	पानीराम
20	राजेन्द्र सिंह S10 अजयराम	राजेन्द्र सिंह

- 21- राजेन्द्र सिंह S10 अजयराम
- 22- अजयराम
- 23- चेत राम S10
- 24- जगबल्लभ सिंह
- 25- मोहन सिंह
- 26- प्रतापराम
- 27- मोहन सिंह
- 28- कलाम सिंह
- 29- शनो सिंह
- 30- कदारा सिंह
- 31- सुन्दर सिंह
- 32- मालती देवी

दरवानराम

ग्राम पंचायत सिमगड़ी (दाबू)
वि०ख० गरुड (बागेश्वर)

दरवानराम

सरपंच
ग्राम पंचायत सिमगड़ी दाबू
क्षेत्र गरुड (बागेश्वर)

परियोजना का नाम:-

एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरुड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- गरुड़

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत हरिनगरी पयां मोटरमार्ग कादाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.585 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.255 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.220 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 6.060 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरुड़ की दिनांक 14/11/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी0एस0डोभाल, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

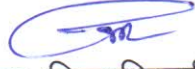
1-	श्री सी0एस0डोभाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री राजेन्द्र उरुद	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	श्री लाल सिंह	बी0डी0सी0 क्षेत्र जरेवड़ा	सदस्य

क्षेत्र - जखेड़ा, वि0 ख0 गरुड़

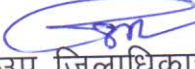
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत-कार्यवाही (30/11/14) जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.060 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरुड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.060 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड़
उपजिला अधिकारी
जनपद बागेश्वर
गरुड़, जिला-बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड़
जनपद बागेश्वर
उपजिला अधिकारी
गरुड़, जिला-बागेश्वर

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

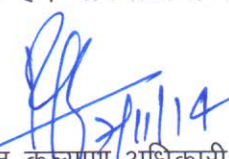
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 7-11-14 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 04.11.2014 द्वारा हरिनगरी-पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.060 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा हरिनगरी-पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर हरिनगरी-पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग के लिए 6.060 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा हरिनगरी-पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग के लिए 6.060 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.060 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरुड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाइन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाइन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.060 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/ 98-एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
जिला बागेश्वर
मुहर